# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 10 / 2014
प्रविष्टि दिनांकः— 12.02.2014

1—आनीलाल पुत्र भूरा जाति ब्राहमण निवासी गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2—तारादेवी पत्नि रामकिशोन जाति ब्राहमण निवासी गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3—शान्ति पत्नि गोविन्दनारायण जाति ब्राहमण निवासी गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4—रामप्यारी पुत्री चुन्नीलाल जाति ब्राहमण निवासी गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर

..... अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक राज0

..... रेस्पोडेण्ट

**अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 4106 दिनांक 20.11.2010 तहसीलदार मालपुरा**

उपस्थितः (1) श्री चंदनमल जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2) श्री जुगनू शर्मा, परोकार सरकार

## निर्णय

दिनांक 18.02.2020

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 4106 दिनांक 20.11.2010 को खारिज कर पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का रेफरेंस तैयार कर कानूनगो शाखा मे पेश करने का आदेश से अपीलांट व्यथित होकर उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की हैं

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिये सम्मन की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। प्रकरण मे अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 3590 / 2 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 3592 / 1 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डिग्गी मे विक्रेतागण छीतर आदि से दिनांक 29.03.2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। तहसीलदार मालपुरा द्वारा उक्त नामान्तकरण पर यह नोट अंकित कर खारिज किया है कि भूमि का वर्गीकरण गै0मु0चोडी व गै0मु0 तालाब मे होने के कारण डी.बी. सिविल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक



Scanned by CamScanner

रिट पीटीशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राज. व अन्य मे निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे वर्णित भूमि है। उक्त आराजीया तमे विक्रेतागण का जो हक हिस्सा 1/4 था वो उनका पैतृक है तथा उनके खातेदारी व कब्जे काश्त मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसको देखकर सद्भावना पूर्वक अपीलांट्स ने आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय की है। विवादित भूमि पर पहले विक्रेतागण काब्जा था और कय करने के बाद अपीलांट्स का कब्जा है। विवादित आराजी सेटलमेन्ट बन्दोबस्त के पूर्व जागीर एक्ट के तहत खातेदारी मे आई है,निरन्तर उसके बाद खातेदारी मे चली आ रही है और काश्त होती है। जिस पर डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 1536/03 लागू नही होता है। उक्त आराजीयात के अन्य सह खातेदारान भी है जिनके भी खातेदारी दर्ज चली आ रही है व बार-बार जमीन का ट्रासंफर होता आ रहा है। अलग-अलग खातेदारान के नाम लगी है मात्र अपीलांट्स की कय शुद्वा 1/4 हिस्से की आराजीयात पर उक्त वर्गीकरण का नोट किस प्रकार है जबकि शेष हक हिस्से की आराजीयात तो अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। अपीलांट्स अपने हिस्से पर निर्विवाद काबिज काश्तकार है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर तहसीलदार मालपुरा के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि तहसीलदार मालपुरा ने नामान्तकरण संख्या 4106 दिनांक 20.11.2010 वाके ग्राम डिग्गी पर भूमि का वर्गीकरण गै. मु. चोडी व गै.मु. तालाब होने के कारण डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राज0 व अन्य मे निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे वर्णित भूमि होने के कारण खातेदारी मे नही रह सकती अब नामान्तकरण खारिज किया जाता है। हल्का पटवारी को निर्देश है कि उक्त भूमि का रेंफरेंस तैयार कर कानूनगो शाखा मे पेश करे का नोट अंकित करते हुए खारिज किया गया है। चूकिं भूमि का आकार तालाबी होने से डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राज0 व अन्य मे निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे वर्णित भूमि होने के कारण खातेदारी मे नही रह सकती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। नामान्तकरण संख्या 4106 दिनांक 20.11.2010 वाके ग्राम डिग्गी तहसील मालपुरा छीतर,रामकरण पि.रतना,सूरता बेवा रतना हिस्सा 1/4 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.03.2008 से आनीलाल पुत्र पूराराम,सारा देवी पत्नि रामकिशोर,शांति पत्नि गोविन्दनारायण,रामप्यारी पत्नि चुनीलाल ब्राहमण निवासी गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर तहसीलदार मालपुरा द्वारा यह नोट अंकित करते हुये खारिज किया गया है कि "भूमि का वर्गीकरण गै.मु. चोडी व गै.मु. तालाब होने के कारण डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राज0 व अन्य मे निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे वर्णित भूमि होने के कारण खातेदारी मे नही रह सकती अब नामान्तकरण खारिज किया जाता है।' हल्का पटवारी को निर्देश है कि उक्त भूमि का रेंफरेंस तैयार कर कानूनगो शाखा मे पेश करे"

अभिभाषक अपीलांट्स का तर्क है कि विवादित भूमि को अपीलांट्स द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.03.2008 द्वारा कय की गई है और उक्त आराजीयात के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दौसा

Scanned by CamScanner

अन्य सह खातेदारान भी है जिनकी भी खातेदारी दर्ज चली आ रही है व बार–बार जमीन का ट्रासंफर होता आ रहा है। अलग–अलग खातेदारान के नाम लगी है मात्र अपीलांट्स की क्रय शुद्वा 1/4 हिस्से की आराजीयात पर उक्त वर्गीकरण का नोट किस प्रकार है जबकि शेष हक हिस्से की आराजीयात तो अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। अपीलांट्स अपने हिस्से पर निर्विवाद काबिज काश्तकार है, फिर भी तहसीलदार मालपुरा ने विवादित नामान्तकरण को नामान्तकरण नियमो के विपरीत जाकर खारिज किया गया है जो गलत है।

उक्त सभी तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी कर अपीलांट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर विधिवत प्रकिया अपनाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था जो तहसीलदार द्वारा नही किया गया। अतः उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 4106 दिनांक 20.11.2010 वाके ग्राम डिग्गी पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर तहसीलदार मालपुरा को आदेश दिया जाता है कि अपीलांट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान कर विधिवत सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन कर नियमानुसार नामान्तकरण निर्णित हेतु रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार मालपुरा नामान्तकरण निर्णित करने से पूर्व विवादित भूमि बाबत रेफरेंस प्रकरण तैयार किया गया हो तो रेंफरेंस प्रकरण किस स्तर पर विचाराधीन है,उसकी जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही सम्पादित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक



Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.19 15:29:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: